संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 70.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेडियो विनियामक (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2015 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम भारतीय रेडियो विनियामक (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेडियो विनियामक (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2015 में:-

(I) नियम 4में;

(क) उप नियम (I) में, खंड (क) में "वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप नियम (2) में, खंड (ख) में "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(2) नियम 6 में, उप-नियम (2) में, खंड (ख) में "वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 7600/- रु. प्रविष्टि के लिए "वेतन मैट्रिक्स (78800-209200/- रु.) में स्तर-12" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

3. नियम 7 में,

(क) उप नियम (5) में;

(i) खंड (ख) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"पदोन्नति के लिए न्यनूतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा पहली जनवरी, 2016 से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना प्रदान किए जाने की तारीख से आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में समकक्ष स्तर में की गई सेवा मानी जाएगी"।

(ii) खंड (ग) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"प्रतिनियुक्ति अथवा विलयन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा पहली जनवरी, 2016 से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना प्रदान किए जाने की तारीख से आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में समकक्ष स्तर में की गई सेवा मानी जाएगी सिवाए उन मामलों के जहां वेतन मैट्रिक्स में एक से अधिक पूर्व-संशोधित स्तरों का एक ग्रेड में विलयन हो गया हो और जिनका वेतन मैट्रिक्स में एक समान स्तर हो तथा जहां यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए दिया जाएगा जिनके लिए वेतन मैट्रिक्स में वह स्तर किसी अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।"

(ख) उप नियम (6) में, खंड (क) में "वेतन बैंड 3 में ग्रेड वेतन अथवा वेतन बैंड 4 अथवा उच्च प्रशासनिक ग्रेड" प्रविष्टियों के लिए "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 अथवा स्तर-11 अथवा स्तर-12 अथवा स्तर-13 अथवा स्तर-14 अथवा स्तर-15" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(4) अनुसूची-। के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"अनुसूची-I"

[नियम 2(छ), नियम 3, नियम 4(1), नियम4(2), नियम 5(2), नियम 5(3), नियम 6(1), नियम 7(1) और नियम 7(2) देखिए]

भारतीय रेडियो विनियामक समूह 'क' सेवा की विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य पदों का नाम, संख्या वेतन मैट्रिक्स में वेतन

क्र.सं.	पदाभिधान	पदों की श्रेणी	कर्तव्य पदों की संख्या*	वेतन मैट्रिक्स में वेतन
1	बेतार सलाहकार	उच्च प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी)	1	स्तर-15 (1,82,200-2,24,100 रु.)
2	संयुक्त बेतार सलाहकार/निदेशक (बेतार अनुश्रवण)	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी)	6	स्तर-14 (1,44,200-2,18,200 रु.)
3	ज्येष्ठ उप बेतार सलाहकार/ज्येष्ठ उप निदेशक (बेतार अनुश्रवण)	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी) (चयन श्रेणी)	13	स्तर-13 (1,18,500-2,14,100 रु.)
4	उप बेतार सलाहकार/उप निदेशक (बेतार अनुश्रवण) (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी)	42#	स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.)
5	सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी इंजीनियर (बेतार अनुश्रवण)	ज्येष्ठ समय वेतनमान (एसटीएस)		स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.)
	ज्येष्ठ कर्तव्य पदों की संख्या		**62**	
6	इंजीनियर, बेतार आयोजना और समन्वय तथा बेतार अनुश्रवण संगठन	कनिष्ठ समय वेतनमान (जेएसटी)	72	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रु.)
	कुल		**134**	

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

ज्येष्ठ समय वेतनमान और ज्येष्ठ समय वेतनमान (अकृत्यिक चयन श्रेणी में 42 पदों में से ज्येष्ठ कर्तव्य पदों का अधिकतम 30 प्रतिशत (अर्थात 18 पद) अकृत्यिक चयन श्रेणी स्तर-12, 78,800-2,09,200/- रु.) में परिवर्तित होंगे।

(5) अनुसूची-III के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

अनुसूची-III

[नियम 2(ज), नियम 7(1) और नियम 7(2) देखिए]

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

क्र.सं.	पद का नाम/वेतन मैट्रिक्स में वेतन	भर्ती की पद्धति	चयन या अचयन पद	प्रोन्नति के लिए पोषक श्रेणी और पात्रता शर्तें
1	2	3	4	5
1	बेतार सलाहकार (उच्च प्रशासनिक श्रेणी) स्तर-15 (1,82,200-2,24,100 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	**प्रोन्नति** ऐसे अधिकारी, जिन्होंने ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, स्तर-14 (1,44,200-2,18,200 रु.) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। ऐसे अधिकारी, जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पदों पर 25 वर्ष की नियमित सेवा की है, जिस में से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, स्तर-14 (1,44,200-2,18,200 रु.) रुपए में होनी चाहिए।
2	संयुक्त बेतार सलाहकार/निदेशक (बेतार अनुश्रवण) (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) स्तर-14 (1,44,200-2,18,200 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	**प्रोन्नति** ऐसे अधिकारी, जिन्होंने कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) समतुल्य में; स्तर-13 (1,18,500-2,14,100 रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। ऐसे अधिकारी, जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पदों पर 17 वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी), स्तर-13 (1,18,500-2,14,100 रु.) रुपए में होनी चाहिए।
3	ज्येष्ठ उप बेतार सलाहकार/ज्येष्ठ उप निदेशक [कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)] स्तर-13 (1,18,500-2,14,100 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	**प्रोन्नति** ऐसे अधिकारी, जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पदों पर 13 वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसमेंसे कम से कम 4 वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ समय वेतनमान स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.) में होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी) में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) की गई सेवा, यदि कोई हो, भी शामिल है; अथवा ऐसे अधिकारी, जिन्होंने ज्येष्ठ समय वेतनमान स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.) में उस श्रेणी में 9 वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके अंतर्गत अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी) में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) में की गई नियमित सेवा, यदि कोई हो, भी शामिल है और वह कनिष्ठ समय वेतनमान में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो।

4	उप बेतार सलाहकार/उप निदेशक; ज्येष्ठ समय वेतनमान (अकृत्यिक चयन श्रेणी) स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	गैर चयन	ज्येष्ठ समय वेतनमान स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.) में के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने अयोग्यता को नामंजूर करने के अध्यधीन ज्येष्ठता द्वारा तैनाती आधार पर नियुक्त की जाने वाली श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण-** ज्येष्ठ समय वेतनमान में के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने ज्येष्ठ समय वेतनमान श्रेणी और कनिष्ठ समय वेतनमान श्रेणी में 9 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष की सेवा ज्येष्ठ समय वेतनमान श्रेणी में की हो, भी उस श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। यह इन नियमों के लागू होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए लागू होगा।
5	सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी इंजीनियर (ज्येष्ठ समय वेतनमान) स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	**प्रोन्नति** कनिष्ठ समय वेतनमान के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो और कनिष्ठ समय वेतनमान श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों। **टिप्पण –** इंजीनियर श्रेणी में सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान में के ऐसे अधिकारी, जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को पद धारण करते हों और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान अथवा समकक्ष संस्थान से विशेष विषय के रूप में रेडियो संचार/ इलैक्ट्रानिक्स/दूरसंचार सहित दूरसंचार इंजीनियरी/इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में कम से कम डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विषय के रूप में भौतिकी और विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री रखते हों, सहायक बेतार सलाहकार/सेवा के एसटीएस श्रेणी के प्रभारी इंजीनियर के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र रहेंगे।
6	इंजीनियर (कनिष्ठ समय वेतनमान) स्तर-10 (56,100-1,77,500 रु.)	सीधी भर्ती द्वारा, (उस श्रेणी में 50 प्रतिशत रिक्तियां) प्रोन्नति द्वारा (उस श्रेणी में 50 प्रतिशत रिक्तियां)	सीधी भर्ती चयन	आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती। **प्रोन्नति** ऐसे कनिष्ठ बेतार अधिकारी, जिन्होंने स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.) में उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

(6) अनुसूची 5 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"अनुसूची-V"

[नियम 7(6)(घ)(ii) देखिए]

सेवा में अकृत्यिक उन्नयन के मामलों पर विचार करने के लिए छानबीन समिति की संरचना

क्र.सं.	**श्रेणी का नाम**	**श्रेणियों में पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति**
1	2	3
1	उच्च प्रशासनिक श्रेणी स्तर-15 (1,82,200-2,24,100 रु.)	1. सचिव, दूरसंचार विभाग- अध्यक्ष; 2. सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार आयोग-सदस्य; 3. सदस्य (सेवा), दूरसंचार आयोग-सदस्य।
2	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर-14 (1,44,200-2,18,200 रु.) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) स्तर-13 (1,18,500-2,14,100 रु.) अकृत्यिक चयन श्रेणी स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) ज्येष्ठ समय वेतनमान स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.)	1. सचिव, दूरसंचार विभाग-अध्यक्ष; 2. सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार आयोग अथवा अपर सचिव, दूरसंचार विभाग – सदस्य; 3. बेतार सलाहकार – सदस्य।

[सं. ए-12018/1/2013-प्रशा.II]

अमित यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मुख्य नियम दिनांक 31 मार्च, 2015 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि.- 238(ई) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप खंड-1 में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में दिनांक 9 फरवरी,2016 की अधिसूचना सं.सा.का.नि.- 200(ई) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 17th February, 2017

G.S.R. 70.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Radio Regulatory (Group 'A') Service Rules, 2015, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Indian Radio Regulatory (Group 'A') Service (Amendment) Rules , 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Radio Regulatory (Group 'A') Service Rules, 2015,-

(1) in rule 4,-

(a) in sub-rule (1), in clause (a), for the words "pay band, grade pay or pay scale", the words " the level in the pay matrix" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), in clause (b), for the words " pay band and grade pay or pay scale", the words " the level in the pay matrix" shall be substituted;

(2) in rule 6, in sub-rule (2), in clause (b), for the entry " Pay Band-3, Grade Pay of Rs. 7600/-, the entry " Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200)" shall be substituted;

(3) in rule 7,

(a) in sub-rule (5),-

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"for the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission";

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"for purposes of appointment on deputation or absorption basis, the Service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised Level in the pay matrix into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit shall extend only for the posts for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any up-gradation";

(b) in sub-rule (6), in clause (a), for the entries " grade pay in pay band 3 or pay band 4 or HigherAdministrative Grade" the entries Level – 10 or Level-11 or Level-12 or Level-13 or Level-14 or Level -15 in the pay matrix" shall be substituted;

(4) for SCHEDULE –I, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I

[See rule 2(g), 3, 4(1), 4(2), 5(2), 5(3), 6(1), 7(1) and 7(2)]

(NAME, NUMBER AND LEVEL IN THE PAY MATRIX of Duty Posts in various Grades of Indian Radio Regulatory Group 'A' Service)

S. No.	Name of the Posts	Grade of the Posts	No. of Duty Posts *	Level in the Pay Matrix
1	Wireless Adviser	Higher Administrative Grade (HAG)	1	Level – 15 (Rs. 1,82,200- 2,24,100)
2	Joint Wireless Adviser / Director (Wireless Monitoring)	Senior Administrative Grade (SAG)	6	Level -14 (Rs. 1,44,200- 2,18,200)
3	Senior Deputy Wireless Adviser / Senior Deputy Director (Wireless Monitoring)	Junior Administrative Grade (JAG) (Selection Grade)	13	Level-13 (Rs. 1,18,500-2,14,100)

4	Deputy Wireless Adviser/ Deputy Director (Wireless Monitoring) (Non-Functional Selection Grade)	Non-Functional Selection Grade (NFSG)	42#	Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200)
5	Assistant Wireless Adviser/ Engineer-in-charge (Wireless Monitoring)	Senior Time Scale (STS)		Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700)
	No. of Senior Duty Posts		**62**	
6	Engineer, Wireless Planning and Coordination and Wireless Monitoring Organisation	Junior Time Scale (JTS)	72	Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500)
	Total		**134**	

* subject to variation depending on workload.
# Out of 42 posts in Senior Time Scale and Senior Time Scale (Non-Functional Selection Grade a maximum 30% of Senior Duty Posts (this is 18 posts) shall be operated at Non Functional Selection Grade {Level-12. Rs. 78,800-2,09,200)";

(5) for SCHEDULE –III, the following SCHEDULE shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-III

[See rule 2(h), 7(1) and 7(2)]

APPOINTMENT BY PROMOTION

Sl. No.	**Name of Post/Level in the Pay Matrix**	**Method of Recruitment**	**Whether selection post or non selection post**	**Feeder grade for promotion and eligibility conditions**
1	2	3	4	5
1	Wireless Adviser (Higher Administrative Grade) Level – 15 (Rs.1,82,200- 2,24,100)	By promotion	Selection	**Promotion** Officers in the Senior Administrative Grade, Level -14 (Rs. 1,44,200-2,18,200) with three years' regular service in the grade; or Officers with twenty five years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year regular service should be in Level -14(Rs. 1,44,200- 2,18,200) Senior Administrative Grade.
2	Joint Wireless Adviser / Director (Wireless Monitoring) (Senior Administrative Grade) Level -14 (Rs.1,44,200- 2,18,200)	By promotion	Selection	**Promotion** Officers in the Junior Administrative Grade (Selection Grade equivalent; Level-13(Rs. 1,18,500-2,14,100)) with three years' regular service in the grade; or Officers with seventeen years of regular service in Group A posts in the Service out of which at least one year of regular service should be in Junior Administrative Grade (Selection Grade) equivalent; Level-13,(Rs. 1,18,500-2,14,100).

3	Senior Deputy Wireless Adviser/Senior Deputy Director (Junior Administrative Grade-Selection Grade) Level-13 (Rs. 1,18,500-2,14,100)	By promotion	Selection	**Promotion** Officers with Thirteen years' of regular Group 'A' posts in the Service out of which at least four years' of regular service should be in Senior Time Scale Level-11 (Rs. 67,700- 2,08,700) including the regular service, if any rendered in the Non-Functional Selection Grade (NFSG) in the Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200); or Senior Time Scale Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) officers with nine years' of regular service in the grade including the regular service, if any, rendered in the Non-Functional Selection Grade (NFSG) in the Level-12(Rs. 78,800-2,09,200); and having educational qualification prescribed for direct recruitment at Junior Time Scale grade.
4	Deputy Wireless Adviser /Deputy Director ; Senior Time Scale (Non-Functional Selection Grade) Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200)	By promotion	Non-Selection	Senior Time Scale officers Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) having five years' regular service in the grade to be appointed on placement basis by seniority subject to rejection of the unsuitable. **Note.-** The Senior Time Scale officers with combined regular service of nine years in Senior Time Scale grade and Junior Time Scale grade out of which at least two years in Senior Time Scale grade shall also be eligible for consideration for promotion to the grade. This shall be applicable for five years from the date of commencement of these rules.
5	Assistant Wireless Adviser/ Engineer-in-charge (Senior Time Scale) Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700)	By promotion	Selection	**Promotion** Junior Time Scale officer with Four year's regular service in the grade and having the educational qualification prescribed for direct recruits at Junior Time Scale grade. **Note:-** The Junior Time Scale Officers of the Service in the grade of Engineer holding the post on the date of notification of these Rules and possessing at least Diploma in Telecommunication engineering/ Electrical Engineering with Radio Communication/ Electronics / Telecommunication as a subject from a recognized University / Institute or equivalent, OR Bachelors' Degree ihn Science with Physics and Mathematics as a subject from a recognized university / Institute, shall however continue to be eligible for considering promotion to Assistant Wireless Adviser / Engineer-in-Charge the STS grade of the Service.

6	Engineer (Junior Time Scale) Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500)	By Direct Recruitment (50% of the Vacancies in the Grade) By promotion (50% of the Vacancies in the Grade)	Direct Recruitment Selection	Direct Recruitment through Examination conducted by Commission. **Promotion** Junior Wireless Officer at Level – 6 (Rs. 35,400 – 1,12,400 having Eight years' of regular service in the grade";

(6) for SCHEDULE –V, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-V

[See rule 7(6)(d)(ii)]

Composition of Screening Committee for considering cases of Non-Functional Up-gradation in the Service

Sl. No	Name of the Grade	Departmental Promotion Committee for considering Promotion to the Grade
(1)	(2)	(3)
1	Higher Administrative Grade Level – 15 (Rs. 1,82,200- 2,24,100)	1. Secretary, Department of Telecom – Chairperson; 2. Member (Technology), Telecom Commission -Member; 3. Member (Services), Telecom Commission - Member.
2	Senior Administrative Grade Level -14 (Rs. 1,44,200- 2,18,200) Junior Administrative Grade (Selection Grade) Level-13 (Rs. 1,18,500-2,14,100) Non-Functional Selection Grade Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) Senior Time Scale Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700)	1. Secretary, Department of Telecom – Chairperson; 2. Member(Technology), Telecom Commission or Additional Secretary, Department of Telecom - Member; 3. Wireless Adviser – Member."

[No. A-12018/1/2013-Admn.II]
AMIT YADAV, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section3, Sub-Section(i) vide notification number G.S.R. 238(E), dated the 31st March, 2015 and subsequently amended vide notification number G.S.R 200(E) dt. 9th February, 2016.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय बहु कार्य कर्मचारि-वृंद समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 को, जहां तक उसका संबंध सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आबंटित बहु कार्य कर्मचारी-वृंद पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में बहु कार्य कर्मचारि-वृंद पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-